न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : II 95 / 2016

उनवान: श्रीमती लाली देवी बनाम रामेश्वर वगैरा

आज दिनांक 14/10/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण द्वारा आज कन्टोनेंस/कार्य बहिष्कार/कार्य स्थगित हो. रहने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/10/ को पेश हो।

22/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक व्यक्तिगत वकील अनावेदक की बहसों पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर आवेदक का मय छावली अवलोकन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भाराजीपाट की संरक्षित कार्य रखना उचित समझते है। अतः जाबी आज्ञा पत्र को स्वीकार किया जाता अनावेदकों को मूलवाद के निस्तारण तक जाबते अस्थायी निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि वादग्रस्त भाराजीपाट खसरा नं. 1438 रकबा 0.05 है. 1439 रकबा 0.24 है. खसरा नं. 1448 रकबा 0.21 है. खसरा 1449 रकबा 3.10 है. ज.न. 1450 रकबा 0.06 कुल मिला कुल रकबा 3.86 व खसरा नं. 1441 मिल रकबा 0.35 है. वाले ग्राम रामपुराकती तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली लोपन कुमार होवा इसी नोटिस क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय बाद दिनांक 22/10/24 को लिफाफा जारी को समाप्त कराया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर